



थाना-चिकासी)हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त रामकांत की अपनी पत्नी रानी देवी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी जिससे वह आक्रोशित हो गया एवं अभियुक्त रामकांत द्वारा 5 अप्रैल 2020 को रात्रि में अपनी पत्नी को थप्पड़ व डंडों से मारा जब उसकी पत्नी नीचे गिर गई उसकी साड़ी से गला दबा दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या को छिपाने तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी का फंदा बनाकर छत पर पंखे से लटका दिया था। उपरोक्त घटना की तहरीर लड़की के पिता द्वारा दी गई थी। जिसपर 15 सितंबर को थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 102 / 2020 धारा 302,506 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना से धारा 201 आईपीसी की बढ़ोतरी कर अभियुक्त रामकांत को आज थाना चिकासी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।







::बैंक चेकिंग एवं पैदल गश्त::

आज दिनाँक 17/09/2020 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम मे आने वालो को COVID-19 संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की गई व क्रमबद्ध लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया साथ ही बैंक के अंदर-बाहर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की गई एवं सुरक्षा हेतु लगे हुए सीसीटीवी कैमरों/अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया व पैदल गश्त कर लोगों मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के सम्बन्ध में जागरूक किया गया साथ ही अंतर्जनपदीय बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गयी।

















::एंटीरोमियों चेकिंग/जागरूकता अभियान::

आज दिनांक 17/09/2020 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में समस्त थानों की एंटीरोमियों टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस अड्डा/सार्वजिनक स्थानों/प्रमुख चौराहों के आस-पास/देहात क्षेत्र में एंटीरोमियों चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की गयी साथ ही एंटीरोमियो टीमों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव/कस्बे एवं सार्वजिनक स्थानों पर महिलाओं/छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई, कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने/मास्क का उपयोग करने हेतु जागरुक किया गया, बालिकाओं/महिलाओं को उच्चाधिकारियों के मोबाईल नंबर से अवगत कराया गया।

















परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना द्वारा परिवार में समझौता कराया गया

अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती गीता पित्न दीपक निवासी मोहल्ला झण्डा मैदान नई बस्ती कस्बा व थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष पारिवारिक विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिससे दोनों पक्षों को बुलाया गया आवेदिका से समस्या को पूछा गया तो दोनों पित पित्न में आपसी विवाद था। दोनों की समस्या का समाधान किया गया, पित-पत्नी आपसी सहमित से समझौता कर फिर से साथ रहने को राजी हुए।







::पैदल गस्त/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों व मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चेकिंग/जागरूकता अभियान::

दिनांक 16-09-2020 को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल के साथ बैरियर,पैट्रोल पम्प,अंतर्जनपदीय बॉर्डर, ग्राम एवं कस्बों में पैदल गस्त किया गया इस दौरान, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की व जनमानस को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया साथ ही चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुल 77 व्यक्ति बिना मास्क लगाए पाये गये। उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 8,900/- रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया एवं जनमानस को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया साथ ही यातायात नियमों के उलंघन में 35 वाहनों का ई-चालान किया गया।



